रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार. 7 मई, 1988/17 वैशाख, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 मई, 1988

क्रमांक एल०एल०आर०(डी) (6) 5/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 29-4-88 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 3) विधेयक,

1988 (1988 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 1988 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम, संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
राज कुमार महाजन,
सचिव विधि।

1988 का अधिनियम संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1988

(महामहिम राज्यपाल द्वारा तारीख 29 अप्रैल, 1988 को यथा अनुमोदित)

वित्तीय वर्ष 1985-86 में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन के प्राधिकरण के लिए उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1988 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1985-86 वर्ष के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 3,33,42,240 रुपए की अतिरिक्त राशि का प्राधिकरण ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 3,33,42,240 रुपए (तीन करोड़, तेंतीस लाख, ब्यालीस हजार, दो सौ चालीस रुपए) है, वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रु0	रु0	रु0
2	राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	74,817	—	74,817
5	भू-राजस्व	(पूंजी)	21,800	—	21,800
9	चिकित्सा एव परिवार नियोजन	(पूंजी)	19,18,890	—	19,18,890
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	1,75,33,855	—	1,75,33,855
13	भूमि तथा जल संरक्षण	(पूंजी)	10,12,679	—	10,12,679
17	सड़कें तथा पुल	(राजस्व)	51,23,491	—	51,23,491
		(पूंजी)	—	9,011	9,011
18	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	6,65,829	—	6,65,829
21	सामुदायिक विकास	(पूंजी)	92,925	—	92,925
23	खाद्य और पोषाहार	(राजस्व)	30,99,685	—	30,99,685
28	पर्यटन	(पूंजी)	1,86,568	—	1,86,568
33	वित्त	(राजस्व)	28,08,784	—	28,08,784
35	जन-जातीय विकास	(पूंजी)	7,93,906	—	7,93,906
		जोड़	3,33,33,229	9,011	3,33,42,240

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Sankhyank 3) Adhiniyam*, 1988 (1988 *ka Adhiniyam Sankhyank* 7) *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Act No. 7 of 1988

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) ACT, 1988

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 29TH APRIL, 1988)

AN

ACT

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1985-86 *in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 1988.

Authorisation of a further sum of Rs. 3,33,42,240 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the year 1985-86.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 3,33,42,240 (three crores, thirty-three lakhs forty-two thousand, two hundred and forty rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 1985-86 in excess of the amount authorised or granted for these services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 1985-86.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Number of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	74,817	—	74,817
5	Land Revenue	(Capital)	21,800	—	21,800
9	Medical and Family Planning	(Capital)	19,18,890	—	19,18,890
10	Public Works	(Revenue)	1,75,33,855	—	1,75,33,855
13	Soil and Water Conservation	(Capital)	10,12,679	—	10,12,679
17	Roads and Bridges	(Revenue)	51,23,491	—	51,23,491
		(Capital)	—	9,011	9,011
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	6,65,829	—	6,65,829
21	Community Development	(Capital)	92,925	—	92,925
23	Food and Nutrition	(Revenue)	30,99,685	—	30,99,685
28	Tourism	(Capital)	1,86,568	—	1,86,568
33	Finance	(Revenue)	28,08,784	—	28,08,784
35	Tribal Development	(Capital)	7,93,906	—	7,93,906
		Total	3,33,33,229	9,011	3,33,42,240